

फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली जिला उदयपुर(राज.)

प्रार्थी श्री चान्दु बनाम श्री उदा वगैरह

किस्म मुकदमा 212 R.T.Act

पत्रावली संख्या : 10/19 (प्रा.पत्र)

क्रम संख्या	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाई तथा सूचनाये जो जारी की गई ।
	<p><u>दिनांक : 19.03.2019</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता श्री सम्पत सामोता द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दस्तावेजात के पेश कर विपक्षी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवम दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः विपक्षी सं. 1 से 28 विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा सनवाड, पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली के आराजी नम्बर 3155 से 3161, 3243, 3246 मी, 3247 मी, 3248 मी, 3250, 3251 कीता 13 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी संख्या 3234, 3235, 3239 मी, 3240 कीता 4 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 28 आगामी पेशी दिनांक तक वादग्रस्त आराजीयात के विशिष्ट भू-भाग को अन्तरण/विक्रय न करे।</p> <p>विपक्षी सं. 1 से 28 को हुक्म ईगतनाई आरजी मजरिया एवं विपक्षी संख्या 29 से 31 को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी विपक्षीगण दिनांक 15.04.2019 को पेश हो।</p>	

सहायक कलक्टर
(S.D.O) मावली
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

15/04/19

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपरीत
अंशका 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 की तरफ से अधिवक्ता
श्री चन्द्रपुरी गौस्वामी द्वारा वकालतनामा पेश किया।
जवाब हेतु अवसर चाँदा। अवसर दिया गया। शेष
विपक्षीयों 2, 9, 10, 12 से 31 की तलबी वारंताप
वही वास्ते जवाब/तलबी पत्रावली दिनांक
25/04/19 को पेश हो।

25/04/19 जलो पेश हुआ। वकालत प्राधा/अपालाण्ट,
उवादी / विपक्षी / रिम्पो उपस्थित/पीठासीन-
नोकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
पारे हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
क 20/06/19 को पेश हो।

20/6/19 वकालत प्राधा / प्रतिवादी उप. / क
के लिये मौका चाहते हैं। अतः क
अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 21/6/19
को पेश हो।

SDO नावली

21/6/19 वकालत प्राधा / प्रतिवादी उप. / क
के लिये मौका चाहते हैं। अतः क
अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 11/7/19
को पेश हो।

SDO नावली

11/7/19 पत्रावली पेश हुई। वकालत प्राधा/अपालाण्ट
प्रतिवादी / विपक्षी / रिम्पो उपस्थित/पीठासीन-
अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारे हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक 11/8/19 को पेश हो।

18/7/19

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी को
आवाके दिलवाई गई। अतः अतः अनुपस्थित
रहने पर पत्रावली अदम हाजरी। अदम पेश
के द्वारा किया जाता हो पत्रावली अदम
के द्वारा नमर से कम हो
निर्गम पुनर्दा जमा।



सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) नावली